



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29052020-219662
CG-DL-E-29052020-219662

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1526]
No. 1526]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 29, 2020/ज्येष्ठ 8, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, MAY 29, 2020/JYAISTHA 8, 1942

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 29 मई, 2020

का.आ. 1696 (अ). —यतःकेंद्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3097 (अ) तारीख 22.09.2017 द्वारा महाराष्ट्र राज्य में (रारा-222 के साथ खरवंडी कसर से रारा-222 के साथ रारा -211 के जंक्शन तक)284.00 कि.मी से 337.00 कि.मी तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

और यतः, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क(दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त नियम' कहा गया है),के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र राज्य में रारा-211 के खरवंडी कसर से रारा -211 के जंक्शन सेक्शन के 284.00 किमी से 335.713 किमी तक पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर सड़क खंड की निवल लंबाई 50.213 कि.मी. हेतु नीचे सारणी (1) के स्तम्भ (2) में 60% की विनिर्दिष्ट आधार दर से और सड़क खंड की निवल लंबाई 1.50 कि.मी. के चार लेन के सेक्शन के उपयोग हेतु सारणी (1) के स्तम्भ (2) में 100% की विनिर्दिष्ट आधार दर से सारणी (1)के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर शुल्क उद्धृत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-2008 के लिए प्रति कि.मी.शुल्क की आधार दर (रुपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम.) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई.) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकार वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1. नीचे उद्धृति एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध और संदेय होगा, अर्थात्:

सारणी-2		
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	लम्बाई (कि.मी.में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिसपर शुल्क संदेय है
रारा-211 के 290.650 कि.मी. पर (अहमदनगर जिले में बड़ेवाडी के पास)	50.213	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%
	1.50	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%

2. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस कि.मी. तक की दूरी में रहता है, उसके लिए वर्ष 2020-21 के लिए मासिक पास की दर 275.00/- रुपए (दो सौ पचत्तर रुपए मात्र) होगी और उक्त नियमों के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जाएगा।

3. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

4. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का 50% होगा बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

5. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश

कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के नियम 10 के उपनियम 1 ए में विनिर्दिष्ट के बराबर शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

6. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं उक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

7. उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

8. ऊपर सारणी-1 में यथा—उल्लिखित, आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जाएगी और उसमें उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

9. इस परियोजना के पूंजीगत लागत का वर्तमान मूल्य 189.77 करोड़ रुपए है। पूंजी लागत में परिवर्तन हो सकता है क्योंकि भूमि अर्जन, जन-उपयोगिता सेवाओं का स्थान बदलने, पेड़ों की कटाई आदि जैसे क्रियाकलाप अभी पूरे किए जाने शेष हैं। अंतिम पूंजीगत लागत को अलग से अधिसूचित किया जाएगा। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर 40% कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/547/सीओ/17-18/जीसी महाराष्ट्र(284.00-337.00)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 29th May, 2020

S.O.1696 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O 3097 (E) dated 22.09.2017 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from km 284.00 to km 337.00 (Kharawandi Kasar to Junction of NH-211 with NH-222) in the State of Maharashtra to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “said Rules”), the Central Government hereby levies the fee on mechanical vehicles at 60% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for net road section length of 50.213 km for the use of two lane with paved shoulder and at 100% of the base rate specified in column (2) in Table 1 for the net road section length of 1.50 km for the use of four lane section on the type of vehicles specified in column (1) of Table-1 below for the use of Kharawandi Kasar to Junction of NH-211 section from km 284.00 to km 335.713 on NH 211 in the state of Maharashtra and authorises the Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

TABLE 1

Type of vehicle	Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza, namely:-

Table-2		
Location of Fee Plaza (chainage)	Length (in km) for which Fee is payable	Rate at which fee is payable
at km 290.650 NH-211 (near Badewadi in Ahmednagar District)	50.213	60% of the base rates mentioned in Table-1 above.
	1.50	100% of the base rates mentioned in Table-1

2. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometres from the fee plaza is Rs. 275.00 (Rupees Two Hundred Seventy Five only) for the year 2020-21 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

3. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:-

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

4. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

5. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fees specified in sub-rule 1A of rule 10 of said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

6. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc., shall be as per definitions specified in the said rules.

7. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

8. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the

Authority on the basis of the completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

9. The estimated capital cost of the project is Rupees 189.77 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed and the final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F. No. NHAI/13013/547/CO/17-18/GC Maharashtra (284.00-337.00)]

PRIYANK BHARTI, Jt. Secy.